

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 29 / 2013  
संस्थान दिनांक 29.01.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. गणेश पिता नत्थु, आयु 26 वर्ष,
2. रुकमणीबाई पति नत्थु, आयु 55 वर्ष,  
दोनों निवासीगण- ग्राम चितावल  
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 24.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 09 / 2013 अंतर्गत 498-ए, 294, 107, 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 29.01.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12.01.2013 को दिन के लगभग 10:00 बजे, ग्राम चितावल फरियादी के मकान पर फरियादी माधुरी को दहेज की बात को लेकर उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 498-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त गणेश माधुरी का पति एवं रुकमणीबाई माधुरी की सास है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में दिनांक 24.09.2013 को आहत माधुरी तथा अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तों को धारा 294, 323 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा यह निर्णय अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी माधुरी का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार ग्राम चितावल में अभियुक्त गणेश से हुआ होकर फरियादी की एक पुत्री है। विवाह के कुछ दिनों पश्चात् फरियादी की सास अभियुक्ता रूकमणीबाई एवं पति अभियुक्त गणेश फरियादी के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर गाली-गलोच एवं मारपीट करते थे। फरियादी ने घटना उसकी माता ताराबाई एवं काका लक्ष्मण एवं भाई दिलीप को बताई। उनके द्वारा फरियादी के पति को समझाकर फरियादी को वापस ससुराल भेज दिया था। घटना दिनांक 13.01.2013 को फरियादी जब उसकी पुत्री को दूध पिला रही थी, तब अभियुक्तगण गणेश एवं रूकमणीबाई बाहर से आये और फरियादी की सास ने कहा कि अभी तक वह सो रही है, ऐसा कहते हुए अभियुक्ता रूकमणीबाई ने पानी भरे का हंडा फरियादी के उपर फेंका तो फरियादी पीछे हट गई, तत्पश्चात् अभियुक्त रूकमणीबाई ने पास में पड़ा डंडा अभियुक्त गणेश को दे दिया तथा फरियादी के दोनों हाथ पकड़ लिये एवं अभियुक्त गणेश ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की जिससे उसे चोंटे आकर बेहोश हो गई। फरियादी के होश में आने पर उसने अपने भाई नरेन्द्र एवं दिनेश को बुलाया व अपने घर चली गई। पुलिस ने फरियादी माधुरी द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 09/2013 अंतर्गत धारा 498-ए, 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की, पुलिस ने फरियादी माधुरी की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया तथा अनुसंधान के दौरान साक्षीगण लक्ष्मण, ताराबाई, माधुरीबाई, दिनेश, नरेन्द्र, पन्नालाल एवं दिलीप के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 498-ए, 294, 323, 107 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए, 294, 323 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 12.01.2013 को दिन के लगभग 10:00 बजे, ग्राम चितावल फरियादी के मकान पर फरियादी माधुरी को दहेज की बात को लेकर उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी माधुरी (अ.सा.1) एवं प्रधान आरक्षक आशीष पंडित (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी माधुरी अ.सा. 1 का केवल इतना कथन है कि 9-10 माह पूर्व अभियुक्तों से उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसकी अभियुक्तों से झुमा-झटकी हो गई थी, जिससे उसका पैर टूट गया था तथा उसे गिरने एवं दीवार पर रगड़ाने से उसके शरीर पर बहुत सारी चोट आई थी। घटना के बाद वह मायके चली गई थी और मायके वालों के कहने पर आवेश में आकर उसने अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजपुर में रिपोर्ट की थी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 है। साक्षी का अंगूठा निशानी होने से साक्षी ने रिपोर्ट लिखाना तो स्वीकार किया है, लेकिन उसमें लिखे तथ्यों की सत्यता से इंकार किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि घटना वाले दिन अभियुक्तों ने उसके साथ लकड़ी एवं डंडे से मारपीट की थी अथवा रूमणीबाई ने पानी भरने का स्टील का हंडा फेंक दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने उसके साथ लकड़ी के डंडे से मारपीट की थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 के कथन में अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त बातें लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रही है।

8. आशीष पंडित असा 2 ने दिनांक 13.01.13 को थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर था तथा थाना राजपुर से माधुरी द्वारा लिखाई गई प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध असल अपराध क्रमांक 9/13 प्रदर्शपी 4 का दर्ज करने और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 4 की रिपोर्ट मन से लेखबद्ध की थी अथवा उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

9. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण अभियोजन की ओर से किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है, तो ऐसी स्थिति में फरियादी ने अभियुक्तों से राजीनामा होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कथन नहीं किये हैं। तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जो कि एक विवाहिता स्त्री है का पति एवं पति के नातेदार होने से उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की।

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण गणेश एवं रूकमणीबाई के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 498-ए भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी